भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 352
02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमआरकेवीवाई के अंतर्गत नर्सरियों को सहायता

352. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत पाँच वर्षों के दौरान, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवाई) के कृषि वानिकी घटक के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) के उत्पादन हेतु लघु, मध्यम और उच्च तकनीक नर्सरियों सहित स्थापित नर्सरियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है और काकिनाडा सहित आंध्र प्रदेश के लिए इनकी ज़िला-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी नर्सरियों की स्थापना हेतु आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार तथा काकिनाडा सहित आंध्र प्रदेश के लिए ज़िला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विगत पाँच वर्षों के दौरान पीएमआरकेवीवाई के कृषि वानिकी घटक के अंतर्गत लाभान्वित हुए किसानों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है और काकिनाडा सहित आंध्र प्रदेश के लिए ज़िला-वार संख्या कितनी है;

(घ) देश में कृषि वानिकी सम्बंधी एआईसीआरपी केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है और विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए ज़िला-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने नर्सरी पंजीकरण और प्रत्यायन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत और प्रत्यायित नर्सरियों की वर्ष-वार और राज्यवार संख्या कितनी है और काकिनाडा सहित आंध्र प्रदेश में जिला-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवाई) के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित कृषि वानिकी योजना कार्यान्वित कर रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार स्थापित नर्सरियों, जारी की गई धनराशि और लाभान्वित किसानों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। मंत्रालय में ज़िला-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ): देश में अब तक कृषि वानिकी पर 26 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) केंद्रों की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि वानिकी पर कोई अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) केंद्र नहीं है।

(ड.) एवं (च): सरकार द्वारा वर्ष 2024 में कृषि वानिकी नर्सरियों के प्रत्यायन हेतु एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। नर्सरी प्रत्यायन प्रोटोकॉल के अंतर्गत दिनांक 31.10.2025 तक कुल 285 नर्सरियों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। मान्यता प्राप्त नर्सरियों की सूची **अनुबंध III** में दी गई है।

अनुबंध- I

पीएमआरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक के संबंध में स्थापित छोटी, बड़ी और हाई-टेक नर्सरियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या दिनांक 31.10.2025 तक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित नई नर्सरियों की संख्या								
		2023-24			2024-25			2025-26		
		छोटी	बड़ी	हाई-टेक	छोटी	बड़ी	हाई-टेक	छोटी	बड़ी	हाई-टेक
1	गुजरात	30	10	5	28	9	4	9	6	4
2	हिमाचल प्रदेश	2	-	-	2	1	-	2	1	-
3	झारखंड	-	-	-	20	-	-	-	-	-
4	कर्नाटक	15	11	1	12	13	1	5	10	-
5	केरल	-	-	-	1	3	-	13	7	2
6	मध्य प्रदेश	-	-	-	3	-	1	-	-	6
7	ओडिशा	-	3	-	-	-	-	-	-	-
8	राजस्थान	-	-	-	-	-	3	-	-	-
9	तमिलनाडु	25	13	6	26	8	14	-	-	1
10	उत्तर प्रदेश	3	1	1	1	1	9	-	-	-
11	पश्चिम बंगाल	10	-	-	4	-	-	3	-	-
12	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	6	-	15	7	-
13	असम	8	2	-	25	-	-	27	-	-
14	मणिपुर	6	-	-	-	-	-	-	-	
15	मेघालय	14	5	-	-	-	-	6	-	-
16	मिजोरम	3	4	-	4	2	-	-	-	-
17	नागालैंड	25	-	-	7	-	-	11	-	-
18	सिक्किम	10	5	1	-	1	1	-	-	-
19	जम्मू और कश्मीर	1	-	2	8	-	2	-	-	-
कुल		**152**	**54**	**16**	**141**	**44**	**35**	**91**	**31**	**13**

<u>अनुबंध-I जारी.....</u>

पीएमआरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक के संबंध में राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटन, जारी और उपयोग निधि का ब्यौरा (रुपये करोड़ में) दिनांक 31.10.2025 तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष								
		2023-24			**2024-25**			**2025-26**		
		आवंटन	जारी	उपयोग	आवंटन	जारी	उपयोग	आवंटन	जारी	उपयोग
1	आंध्र प्रदेश	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	9.03	9.030	0.00
2	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.00	3.45	1.73	0.00
3	छत्तीसगढ़	3.00	2.25	0.83	3.00	3.00	2.34	3.13	1.56	0.62
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.00	1.02	0.51	0.00
5	गुजरात	11.50	11.50	9.48	11	5.48	2.74	4.80	1.93	1.31
6	हरियाणा	1.0	0.00	0.00	0.5	0	0.00	0.00	0	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	2.0	0.5	0.50	1.5	1.08	1.08	1.13	0.57	0.57
8	झारखंड	3.0	0.00	0.00	2.0	0.5	0.00	2.40	1.20	0.00
9	कर्नाटक	12.5	12.49	17.43	12	12	11.21	10.88	10.88	5.40
10	केरल	0.5	0.00	0.00	0.5	0.31	0.28	3.26	1.630	0.09
11	मध्य प्रदेश	6.15	2.46	0.70	2.5	1.83	0.71	5.14	2.57	1.81
12	महाराष्ट्र	4.0	0.00	0.00	2.0	1.99	0.50	10.68	4.17	0.00
13	ओडिशा	2.0	1.49	0.59	5.00	4.5	2.50	9.00	4.50	4.47
14	पंजाब	0.00	0.00	0.00	1.0	0.5	0.00	2.82	0	0.00
15	राजस्थान	0.31	1.00	0.83	1.00	0.70	0.12	7.41	3.70	0.15
16	तमिलनाडु	8.99	8.97	3.38	8.00	8.00	7.96	4.95	4.450	2.30
17	तेलंगाना	1.00	0.00	0.00	1.00	0.5	0.00	5.41	2.70	0.09
18	उत्तर प्रदेश	8.96	6.62	4.39	6.5	6.5	4.06	12.32	6.160	0.00
19	उत्तराखंड	1.00	0.00	0.00	1.00	0.25	0.00	1.24	0.62	0.00
20	पश्चिम बंगाल	0.00	1.00	0.68	1.00	0.25	0.25	0.32	0.16	0.13
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.05	0.05	1.50	1.14	1.14	5.625	2.24	0.00
22	असम	2.00	1.59	1.37	2.50	2.5	2.50	5.20	5.2	1.98
23	मणिपुर	1.0	0.61	0.00	1.0	0.25	0.25	1.87	1.22	0.00
24	मेघालय	2.0	1.0	0.00	1.0	0.5	0.50	1.45	0.73	0.50
25	मिजोरम	2.0	1.0	0.00	2.0	1.0	1.00	3.50	1.69	0.00
26	नागालैंड	1.28	1.7	1.45	1.0	1.0	1.00	7.50	3.50	1.00
27	सिक्किम	0.00	2.25	0.00	1.0	0.73	0.73	2.40	1.11	0.00
28	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	1.0	0.5	0.00	1.36	0.68	0.00
29	लद्दाख	1.21	0.3	0.00	1.0	0.25	0.00	0.37	0	0.00
30	जम्मू और कश्मीर	3.0	1.32	0.95	2.5	1.25	1.25	0.93	0.5	0.00
31	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.32	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00
	कुल	**78.90**	**58.10**	**42.63**	**75.82**	**56.92**	**42.12**	**128.76**	**74.94**	**20.42**

नोट: वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान धनराशि मदर सैंक्शन के रूप में जारी की गई ।

अनुबंध-I जारी....

पीएमआरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक के संबंध में लाभान्वित किसानों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या दिनांक 31.10.2025 तक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित किसानों की कुल संख्या			कुल
		2023-24	2024-25	2025-26	
1	छत्तीसगढ़	4207	573	75	4855
2	गुजरात	11432	28844	3350	43626
3	हिमाचल प्रदेश	145	1205	713	2063
4	झारखंड	-	-	-	-
5	कर्नाटक	21214	6832	1405	29451
6	केरल	-	-	3250	3250
7	मध्य प्रदेश	254	22	-	276
8	ओडिशा	2400	1773	5003	9176
9	राजस्थान	-	-	-	-
10	तमिलनाडु	23792	1549	1	25342
11	उत्तर प्रदेश	2500	25	0	2525
12	पश्चिम बंगाल	364	106	106	576
13	अरुणाचल प्रदेश	1100	1125	-	2225
14	असम	20267	22298	10125	52690
15	मेघालय	3	-	9	12
16	मिजोरम	520	445	-	965
17	नागालैंड	1585	330	310	2225
18	सिक्किम	8	2	-	10
19	जम्मू एवं कश्मीर	-	846	1346	2192
	कुल	**89791**	**65975**	**25693**	**181459**

अनुबंध- II

देश में स्थापित कृषि वानिकी पर एआईसीआरपी केंद्रों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	एआईसीआरपी कृषि वानिकी केंद्र	क्र.सं.	राज्य	एआईसीआरपी कृषि वानिकी केंद्र
1	असम	एचआरएस, काहीकुची (एएयू, जोरहाट)	10	मध्य प्रदेश	जेएनकेवीवी, जबलपुर
2	बिहार	आरपीसीएयू, पूसा समस्तीपुर	11	महाराष्ट्र	एमपीकेवी, राहुरी
3	गुजरात	एसडीएयू, एसके नगर			सीओए, नागपुर
4	हरियाणा	सीसीएसएचएयू, हिसार			डॉ डीबीएसकेकेवी, दापोली
5	हिमाचल प्रदेश	सीएसकेएचपीकेवीवी, पालमपुर	12	ओडिशा	ओयूएटी, भुवनेश्वर
		वाईएसपीयूएचएफ, सोलन	13	पंजाब	पीएयू, लुधियाना
6	जम्मू और कश्मीर	स्कुअस्ट-कश्मीर, श्रीनगर	14	राजस्थान	एसकेएनएयू, जोबनेर
		स्कुअस्ट-जम्मू जम्मू	15	तमिलनाडु	टीएनएयू, कोयंबटूर
7	झारखंड	बीएयू, रांची			कट्टुपक्कम, तनुवास, चेन्नई
8	कर्नाटक	यूएएस, बेंगलुरु	16	तेलंगाना	पीजेटीएयू, राजेंद्रनगर
		यूएएस, धारवाड़	17	उत्तर प्रदेश	अंदुआत, अयोध्या
		यूएएचएस, शिमोगा	18	उत्तराखंड	जीबीपीयूएटी, पंतनगर
9	असम	केएयू, त्रिशूर	19	पश्चिम बंगाल	एचआरएस, झाड़ग्राम, बीसीकेवी, कल्याणी

अनुबंध- III

वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान मान्यता प्राप्त कृषि वानिकी नर्सरियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या दिनांक 31.10.2025 तक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीएआर-सीएएफआरआई द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरियों की संख्या		
		2024-25	2025-26	कुल
1	कर्नाटक	146	10	**156**
2	महाराष्ट्र	13	16	**29**
3	ओडिशा	25	-	**25**
4	मध्य प्रदेश	03	-	**03**
5	छत्तीसगढ़	06	-	**06**
6	हिमाचल प्रदेश	04	02	**06**
7	उत्तर प्रदेश	**-**	60	**60**
सकल योग		**197**	**88**	**285**

*****